


14 ⁰²/₂₃ पत्रावली पेश हुई। कुलाथ उप.।

पत्रावली व उपलब्ध रेडि के अख्यतन व कुलाथ की वल के पश्चात् सात-के अविदक के खातेपारी भूमि मोरी के खसरा नम्बर 10, 12 कुल खसरा 2 कुल रुबा 0.08 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी वर्तमान में ग्राम मोरी के खसरा नम्बर 13 गैरमुमकीन बाना से आवागमन करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी के खातेपारी जेततक जाने जाने का रास्ता वर्तमान में मौजूद है, प्रार्थी मात्र अपनी सुविधा के लिए राजाश्रिय शिवाथचक्र भूमि से रास्ता चाह रहा है तथा चाहे जा रहे रास्ते में जाने वाली भूमि की डिम् गैर मुमकीन मगरी है तथा शिवाथचक्र भूमि का रुबा भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। धारा 251 A 27 A के तहत अत्यधिक आवश्यक होने पर ही नवीन रोडोर्ड रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है सुविधा के लिए नहीं। लिये जा प्रार्थना पर प्रार्थी 251 A 27 A खारिज किया जाता है पत्रावली केवल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।


उपउप अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)